:: न्यायालय सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी	:	**श्री सुनील कुमार पंचोली, आर.जे.एस.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
विविध आपराधिक प्रकरण संख्या	:	104/2026 (CIS N. 104/2026)
CNR N.	:	RJDG010002002026

1. **पुष्पेन्द्र पिता रमेशचन्द्र** उम्र 21 वर्ष निवासी गुमानपुरा पुलिस थाना सदर जिला डूँगरपुर (राज.)।

2. **विनोद पिता सोमा** उम्र 19 वर्ष निवासी नलवा पुलिस थाना सदर जिला डूँगरपुर (राज.)।

––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण––

बनाम

राजस्थान राज्य। **––अप्रार्थी/अभियोजन––**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–32/2026, पुलिस थाना सदर डूँगरपुर, अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 118(1), 117(2), 110, 3(5)** भारतीय न्याय संहिता।

उपस्थित :–

1. श्री ऋषि कुमार दवे, अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।
2. श्री पुष्कर चौबीसा, लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।
3. श्री हितेन्द्र पटेल, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से उपस्थित।

:: आदेश :: **दिनांक :–11.03.2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **पुष्पेन्द्र व विनोद** की ओर से यह जमानत का प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलायी गयी। केस डायरी तलब की गयी।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.02.2026 को परिवादी रमेशचन्द्र पिता वालजी निवासी गुमानपुरा ने पुलिस थाना सदर डूँगरपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "आज दिनांक 20.02.2026 को करीब 7:00 बजे उसका पुत्र सुनील व उसके साथी दीपक एवं सोहनलाल तीनों उनके पड़ोस में ऋषि प्रसाद की शादी होने से उसके घर जा रहे थे, तब वहां पर पुष्पेन्द्र व विनोद दुल्हें के घर के सामने मिले जिसमें पुष्पेन्द्र ने उसके पुत्र सुनील को रास्ते चलते हुये रोका व मारपीट करने लगे व उसके हाथ में कोई औजार लोहे का था वह उसके सिर पर मारा जिससे गंभीर चोटें आयी है। मौके पर कई लोग भी आ गये जिस पर सुनील को छोड़कर भाग गये जिसे 108 पर कॉल कर इलाज हेतु भर्ती करवाया गया है.....इत्यादि।"

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सदर डूँगरपुर द्वारा मुकदमा नंबर–32/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक 09.03.2026 को गिरफ्तार किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर द्वारा खारीज किया गया।

4. बहस उभय पक्ष सुनी गयी एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।

5. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया जाकर पुलिस द्वारा गलत आधार पर गिरफ्तार किया

Authenticated Document

गया है। उनसे किसी प्रकार की बरामदगी नही हुई है। आरोपी पुष्पेन्द्र के घर पर ही शादी थी। आहत एवं उसके साथीगण के द्वारा मौके पर विवाद किया गया था। उनके विरूद्ध पूर्व में क्रिमीनल रिकॉर्ड़ नही है। फरियादी ने गलत तथ्यों का आधार लेकर झूंठी प्रथम सचूना रिपोर्ट दर्ज करवायी है। वे युवा होकर गरीब परिवार के सदस्य हैं तथा आरोपी पुष्पेन्द्र की परीक्षा चल रही है जिसका टाईम टेबल भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था। वे माननीय न्यायालय द्वरा जो भी शर्ते होगी मानने हेतु तैयार है और आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तत्पर है। वे दिनांक 09.03.2026 से अभिरक्षा में है जिससे गलत संगत में आ जाने पर उनका भविष्य खराब होगा एवं परिवार पर भारी आर्थिक संकट आ जायेगा। वे पूर्व सजायाब नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जावे। प्रार्थना पत्र के साथ BAL.L.B.–V SEM की मुख्य परीक्षा टाईम टेबल की प्रति तथा प्रार्थी/अभियुक्त पुष्पेन्द्र द्वारा जमा करवायी गयी फीस की रसीद की फोटो प्रति पेश की।

6. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और तर्क दिया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर परिवादी रमेशचन्द्र के पुत्र सुनील को जान से मारने की नियत से उसे रास्ते जाते रोककर लोहे के औजार से मारपीट कर उसके शरीर पर गंभीर चोटें कारित करने का गंभीर प्रकृति का आरोप है। अत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे।

7. मैंने उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी रमेशचन्द्र के पुत्र सुनील का सदोष अवरोध कर कुन्द व धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर उसे स्वेच्छया उपहति व घोर उपहति कारित कर आपराधिक मानव वध करने के प्रयत्न का आरोप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के खिलाफ पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड़ नहीं होना बताया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 09.032026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को और अधिक समयावधि तक अभिरक्षा में रखे जाने से किसी भी प्रयोजन की पूर्ति होना जाहिर नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

8. फलस्वरूप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **पुष्पेन्द्र व विनोद** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त पचास हज़ार रुपये की राशी का निजी बंध पत्र व पच्चीस–पच्चीस हज़ार रुपये की राशी की दो जमानते विद्वान **न्यायिक मजिस्ट्रेट डूँगरपुर** की संतुष्टि का प्रकरण में विचारण पूर्ण होने तक विचारण न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहने के आशय का पेश कर तस्दीक करा दे तो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–32/2026 पुलिस थाना सदर डूँगरपुर में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

––sd––

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

––sd––

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राज.)

OM PRAKASH FALEJA

P.A. CUM E.A.
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Digitally signed by OM PRAKASH FALEJA
Location: DJ COURT DUNGARPUR
Date: 2026.03.11 13:22:40 +0530

Authenticated Document